न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **स्वदीप सिंह**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2457–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–6–14 पारित द्वारा तहसीलदार, राजधानी परियोजना नजूल भोपाल प्रकरण कमांक 02/अ–12/2011–12.

नन्दकिशोर मालवीय आत्मज के.आर. मालवीय
निवासी ई–2/263, अरेरा कालोनी, भोपाल .....आवेदक

विरूद्ध

राजेन्द्र गुप्ता आत्मज रामदास गुप्ता
निवासी बी–72, शाहपुरा अरेरा कालोनी, भोपाल .....अनावेदक

श्री आर.एस. भम्मानी अभिभाषक, आवेदक
श्री जी.एस. गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 28 नवम्बर, 2014)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, राजधानी परियोजना नजूल भोपाल द्वारा पारित आदेश 20–6–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक राजेन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा तहसील न्यायालय में ग्राम बावड़िया कला, तहसील हुजूर, जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा कमांक 460/1/1 रकबा 0.150 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 04/अ–12/09–10 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की

गई । राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 28–10–2009 को सर्वे क्रमांक 460/1/4 का सीमांकन किया जाकर प्रतिवेदन तहसीलदार को प्रस्तुत किया गया, और तहसीलदार द्वारा दिनांक 17–6–2011 को आदेश पारित किया जाकर सीमांकन स्वीकृत किया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर कलेक्टर, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 9–3–2011 को आदेश पारित कर सीमांकन आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि 1 माह की समयावधि में उभय पक्ष एवं अन्य संबंधित हितबद्ध पक्षकारों की उपस्थिति में विधि अनुसार सीमांकन की कार्यवाही की जाये । तत्पश्चात कलेक्टर द्वारा सीमांकन दल गठित किया गया । सीमांकन दल द्वारा दिनांक 28–5–2012 को सीमांकन किया जाकर प्रतिवेदन तहसीलदार को प्रस्तुत किया गया । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आवेदक द्वारा आपित्तयां प्रस्तुत की गईं । तहसीलदार द्वारा दिनांक 23–6–2012 को आदेश पारित कर आवेदक की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों का निराकरण किया जाकर सीमांकन प्रतिवेदन एवं प्रस्तावित नक्शे की पुष्टि की गई, साथ ही राजस्व निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि 10 दिवस के अन्दर मुताबिक बटान पक्षकारों की उपस्थिति में स्थल पर सीमा चिन्ह गड़ाकर भूमि की स्थिति दर्शाते प्रतिवेदन प्रस्तुत करें । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर आवेदक नन्दकिशोर द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24–12–2012 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 23–6–2012 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि सर्वप्रथम सर्वे क्रमांक 460 का विक्रय पत्रों के आधार पर बटान किया जाये । यदि बटान पूर्व से स्वीकृत है, तब बटान के अनुसार नक्शा संशोधित किया जाये तत्पश्चात सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचना दी जाकर सीमांकन की कार्यवाही की जाये । इस न्यायालय के आदेश के परिपालन में तहसीलदार द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की गई । तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन चाहा गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रतिवेदन दिनांक 18–6–13 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई कि पक्षकारों के मध्य पूर्व से बटान स्वीकृत होकर अंकित है, राजस्व मण्डल द्वारा भी पूर्व से स्वीकृत बटान के आधार पर सीमांकन किए जाने के निर्देश दिये गये हैं, उभय पक्ष द्वारा भी नक्शे में पूर्व से स्वीकृत बटान के आधार पर सीमांकन चाहा जा रहा है। अतः पूर्व से

स्वीकृत बटान के आधार पर सीमाकंन किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रतिवेदन से सहमत होते हुए पूर्व से ही नक्शे में अंकित बटान के आधार पर सीमाकंन कर सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिये गये । राजस्व निरीक्षक द्वारा पुनः प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि पूर्व में सीमांकन वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में किया गया है, अतः दल गठित किया जाकर सीमांकन कराया जाना उचित होगा । तहसीलदार द्वारा सीमांकन दल का गठन कर बटान एवं सीमांकन की कार्यवाही कर एक सप्ताह में पूर्ण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये । गठित दल द्वारा दिनांक 28–9–13 को नक्शा संशोधन सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा उक्त नक्शा संशोधन प्रस्ताव पर उभय पक्ष को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाकर दिनांक 20–1–14 को आदेश पारित कर यह निष्कर्ष निकालते हुए कि सर्वे कमांक 460 का नक्शे में पूर्व से बटान स्वीकृत है, परन्तु पूर्व में स्वीकृत बटान विकय पत्रों में वर्णित स्वत्व के अनुसार नहीं है, दर्ज बटान व पक्षकारों के कब्जे एवं विकय पत्रों में वर्णित स्वत्व में कमी पेशी है, अतः सीमांकन दल द्वारा संशोधित बटान सीमांकन के लिए प्रस्तावित किया गया है । चूंकि राजस्व मण्डल द्वारा आदेश में संहिता की धारा 107 के अंतर्गत नक्शा संशोधन का अधिकार कलेक्टर को होना माना है, इसलिये बिना सक्षम अधिकारी द्वारा संशोधित नक्शा बटान स्वीकृत किये और स्वीकृत बाद नक्शे में सुधार किये बिना सीमांकन कार्यवाही उचित नहीं है, संशोधित नक्शा बटान स्वीकृति हेतु नजूल अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को अग्रेषित किया गया । कलेक्टर द्वारा दिनांक 29–3–14 को आदेश पारित कर निर्देश दिये कि प्रस्तावित नक्शा बटान पर हितबद्ध पक्षकारों की सहमति ली जाकर सुनवाई करें एवं राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 24–12–2012 का अनुसरण करते हुए विधि के प्रावधानों के तहत अपने स्तर से प्रकरण का नियमानुसार निराकरण करें एवं प्रकरण नजूल अधिकारी को भेजा गया। नजूल अधिकारी द्वारा कार्यवाही के लिये प्रकरण तहसीलदार को भेज दिया गया। तहसीलदार द्वारा दिनांक 29–5–14 को आदेश पारित कर मुख्यतः यह निष्कर्ष निकालते हुए कि सर्वे कमांक 460 का पूर्व में बटान स्वीकृत है, जो नक्शे में अंकित है । इस बटान को किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है, और इस बटान को किसी भी न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी गई है, ऐसी स्थिति में नये बटान को स्वीकृत करने का औचित्य नहीं है, और न ही विधिसंगत है । राजस्व मण्डल के आदेश अनुसार यदि पूर्व में

बटान स्वीकृत है, तब बटान के अनुसार नक्शा संशोधित किया जाकर सीमांकन कार्यवाही करनी है । चूंकि पूर्व में स्वीकृत बटान नक्शे में अंकित है, अतः नक्शा संशोधन का भी कोई प्रश्न नहीं उठता, वर्तमान राजस्व नक्शे में अंकित बटान के आधार पर, प्रकरण में लम्बे समय से चले आ रहे विवाद का निराकरण करने हेतु उभय पक्ष की भूमियों का सीमांकन उनकी उपस्थिति में तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सूचना दी जाकर दो राजस्व निरीक्षकों की टीम द्वारा तहसीलदार तथा अधीक्षक, भू–अभिलेख की उपस्थिति में सीमांकन किये जाने के निर्देश दिये गये । आदेशिका दिनांक 29–5–14 में दिनांक 10–6–2014 को सीमांकन किये जाने का उल्लेख किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 3–6–14 को आदेशिका लिखी गई कि आवेदक राजेन्द्र गुप्ता द्वारा आज दिनांक को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि वर्तमान नक्शे में एवं उनके स्वीकृत बटान में भिन्नता है तथा वर्तमान नक्शा पुराने नक्शे से मेल नहीं खाता है । उनके द्वारा वर्तमान नक्शे में त्रुटि सुधार हेतु आवेदन पत्र संहिता की धारा 116 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, इसके निर्णय के पश्चात ही सीमांकन की कार्यवाही की जायेगी । इसके पश्चात तहसीलदार द्वारा दिनांक 20–6–2014 को आदेश पारित किया गया कि आदेश दिनांक 19–6–14 द्वारा प्रस्तुत त्रुटि सुधार के आवेदन पत्र का निराकरण किया जा चुका है, अतः नक्शा सुधार के पश्चात वर्तमान नक्शे के आधार पर कार्यवाही की जायेगी । सीमांकन की कार्यवाही दिनांक 25–6–14 को उभय पक्ष की उपस्थिति में की जायेगी । हितबद्ध पक्षकारों को सूचना दी जाये । सीमांकन हेतु एस.एल. आर. को नोटिस जारी हो । पुनःश्च आदेशिका लिखी गई कि आवेदक एवं अनावेदक को सीमांकन हेतु नोटिस जारी हो । आवेदक की ओर से तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय ने जिन निर्देशों के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया था, उनका पालन तहसीलदार द्वारा नहीं किया गया है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 29–5–14 को पूर्व स्वीकृत बटान के आधार पर सीमांकन हेतु दिनांक 10–6–14 को तिथि नियत की गई थी, परन्तु बीच में ही तहसीलदार द्वारा बिना आवेदक को सूचना दिये प्रकरण दिनांक 3–6–14 को लेकर अनावेदक से आवेदन पत्र प्राप्त कर इस निर्देश के साथ सीमांकन कार्यवाही स्थगित कर दी गई कि अनावेदक द्वारा नक्शे में त्रुटि सुधार हेतु

संहिता की धारा 116 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र के निर्णय के पश्चात ही सीमांकन की कार्यवाही की जायेगी । इसके पश्चात बिना आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये उक्त आवेदन पत्र के आधार पर नक्शे में संशोधन कर प्रकरण में संशोधित नक्शे के आधार पर सीमांकन की तिथि नियत कर दी गई है । तहसीलदार द्वारा की गई उक्त कार्यवाही जहां पूर्णतः विधि विपरीत है, वहीं इस न्यायालय के आदेश की अवहेलना भी है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 116 के अंतर्गत नक्शा दुरूस्त करने में क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही की गई है, क्योंकि तहसीलदार को नक्शा दुरूस्त करने का क्षेत्राधिकार नहीं होकर संहिता की धारा 107 के अंतर्गत कलेक्टर को है, इसी आशय का निष्कर्ष इस न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 24–12–2012 में निकाला गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि वर्ष 2009 से सीमांकन प्रकरण प्रचलित है, और अनावेदक द्वारा दिनांक 3–6–14 को लगभग 4 वर्ष से भी अधिक समय पश्चात त्रुटि सुधार हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जबकि संहिता की धारा 116 के अंतर्गत 1 वर्ष की समय–सीमा निर्धारित है, अतः इस कारण भी तहसीलदार द्वारा नक्शे में त्रुटि सुधार करने में वैधानिक प्रावधानों के विपरीत कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर कलेक्टर द्वारा हितबद्ध पक्षकारों की सहमति से प्रस्तावित नक्शा बटान के निराकरण के निर्देश दिये गये थे, परन्तु तहसीलदार द्वारा केवल अनावेदक के आवेदन पत्र पर नक्शा दुरूस्त करने में अपर कलेक्टर के आदेश की अवहेलना की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था कि पूर्व में स्वीकृत बटान आदेश को निरस्त करने के लिये पुनर्विलोकन की अनुमति लेना होगी, परन्तु तहसीलदार द्वारा उक्त प्रतिवेदन को अनदेखा किया गया है । उनके द्वारा तहसीलदार द्वारा किया गया सीमांकन निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 20–6–14 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है, उक्त आदेश के द्वारा तहसीलदार द्वारा सीमांकन हेतु तिथि नियत की जाकर उभय पक्ष को सूचना दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं है । इस आधार पर कहा गया कि आवेदक का उद्देश्य केवल अनावेदक की भूमि का सीमांकन नहीं होने देना है, क्योंकि आवेदक, अनावेदक की भूमि पर कब्जा किए हुए है ।

यह भी कहा गया कि आवेदक बार–बार आपत्तियां एवं निगरानी प्रस्तुत कर प्रकरण को लंबित रखने की प्रकिया अपना रहे हैं । अंत में कहा गया कि तहसीलदार द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का आधार नहीं होने से निगरानी निरस्त की जाये ।

प्रत्युत्तर में आवेदक की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि नक्शा दुरूस्ती के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील लंबित है, जिसमें आवेदक को स्थगन प्राप्त है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषको द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । 1986 आर.एन. 1 सौदानसिंह विरूद्ध म0प्र0 राज्य तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :–

> "धारा 50–पुनरीक्षण की शक्तियां–बहुत विस्तृत हैं–न केवल विवादित आदेश बल्कि अधीनस्थ राजस्व द्वारा पारित ऐसे आदेश जिससे कोई पक्षकार परिवेदित हो, की वैधता का भी परीक्षण किया जा रहा है ।"

इस प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में न केवल तहसीलदार द्वारा पारित विवादित आदेश बल्कि प्रकरण में पारित समस्त आदेशों की वैधानिकता पर विचार किया जा रहा है । तहसीलदार के प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस न्यायालय से प्रकरण प्रत्यावर्तित होने पर तहसीलदार द्वारा इस न्यायालय के आदेश के पालन में राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन चाहा गया है । राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 17–4–2013 को इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि सर्वे नम्बर 460 में कुल 68 बटा नम्बर कायम है, इनमें से अधिकांश भूमिस्वामियों की बटानें पूर्व से स्वीकृत होकर अभिलेख में दर्ज है, और प्रचलित प्रकरण से कोई संबंध नहीं है, केवल 14 भूमिस्वामी प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार हैं । दिनांक 11–6–2012 को प्रतिवेदन के साथ संलग्न नक्शा भूमिस्वामियों की सहमति से प्रस्तुत किया गया है, उसकी ही पुष्टि की जाये । तहसीलदार द्वारा दिनांक 30–4–13 को राजस्व निरीक्षक को निर्देश दिये गये हैं कि नक्शे के आधार पर सभी हितबद्ध पक्षकारों को पूर्व सूचना जारी कर मौके पर सीमांकन कर 15 दिवस में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये, सीमांकन उपरांत पक्षकारगण आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं । राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक

18–6–13 को इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि स्थल पर सीमांकन की कार्यवाही प्रारंभ किए जाने पर आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई कि पक्षकारों के मध्य पूर्व से ही नक्शे में बटान स्वीकृत होकर अंकित हैं । राजस्व मण्डल द्वारा भी पूर्व से स्वीकृत बटान के आधार पर सीमांकन की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं । साथ ही उभय पक्ष द्वारा भी पूर्व से नक्शे में स्वीकृत बटान के आधार पर सीमांकन चाहा जा रहा है । तहसीलदार द्वारा दिनांक 21–6–13 को राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में पूर्व से नक्शे में अंकित बटान के आधार पर सीमांकन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये । राजस्व निरीक्षक द्वारा पुनः इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि पूर्व में वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में सीमाकंन दल द्वारा सीमांकन किया गया है, इसलिए वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में दल गठित किया जाकर सीमांकन कराया जाना उचित होगा । तद्नुसार तहसीलदार द्वारा श्री अनिल मालवीय राजस्व निरीक्षक, श्री राजेन्द्र जैन, राजस्व निरीक्षक, श्री अमित दीक्षित पटवारी का दल गठित कर बटान एवं सीमांकन 1 सप्ताह में पूर्ण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये । सीमाकंन दल द्वारा हितबद्ध 14 पक्षकारों के मध्य भूमियों का बटान मय प्रस्तावित संशोधित नक्शे के प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रतिवेदन एवं प्रस्तावित नक्शा संशोधन पर उभय पक्ष को सुनकर दिनांक 20–1–14 को आदेश पारित कर यह निष्कर्ष निकालते हुए कि सर्वे कमांक 460 का नक्शे में पूर्व से बटान स्वीकृत है, परन्तु पूर्व में स्वीकृत बटान विकय पत्रों में वर्णित स्वत्व के अनुसार नहीं है, दर्ज बटान में पक्षकारों के कब्जे एवं विकय पत्रों में वर्णित स्वत्व में कमी पेशी है । इसीलिये सीमांकन दल द्वारा संशोधित बटान सीमांकन के लिए प्रस्तावित किया है। चूंकि राजस्व मण्डल द्वारा आदेश में संहिता की धारा 107 के अंतर्गत नक्शा संशोधन का अधिकार कलेक्टर को होना माना है, इसिलए बिना सक्षम अधिकारी द्वारा संशोधित नक्शा बटान स्वीकृत किये और स्वीकृत बाद नक्शे में सुधार किये बिना सीमांकन कार्यवाही उचित नहीं है । संशोधित नक्शा बटान नजूल अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को अग्रेषित किया गया । कलेक्टर द्वारा दिनांक 29–3–14 को आदेश पारित कर निर्देश दिये कि प्रस्तावित नक्शा बटान पर हितबद्ध पक्षकारों की सहमति ली जाकर सुनवाई करें एवं राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 24–12–2012 के अनुसरण करते हुए विधि के प्रावधानों के तहत अपने स्तर से प्रकरण का नियमानुसार निराकरण करें एवं प्रकरण नजूल अधिकारी को

भेजा। नजूल अधिकारी द्वारा कार्यवाही के लिये प्रकरण तहसीलदार को भेजा । तहसीलदार द्वारा दिनांक 29–5–14 को आदेश पारित कर मुख्यतः यह निष्कर्ष निकालते हुए कि सर्वे कमांक 460 का पूर्व में बटान स्वीकृत है, जो नक्शे में अंकित है । इस बटान को किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है, और इस बटान को किसी भी न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी गई है, ऐसी स्थिति में नये बटान को स्वीकृत करने का औचित्य नहीं है, और न ही विधिसंगत है । राजस्व मण्डल के आदेश अनुसार यदि पूर्व में बटान स्वीकृत है, तब बटान के अनुसार नक्शा संशोधित किया जाकर सीमांकन कार्यवाही करनी है । चूंकि पूर्व में स्वीकृत बटान नक्शे में अंकित है, अतः नक्शा संशोधन का भी कोई प्रश्न नहीं उठता, वर्तमान राजस्व नक्शे में अंकित बटान के आधार पर, प्रकरण में लम्बे समय से चले आ रहे विवाद का निराकरण करने हेतु उभय पक्ष की भूमियों का सीमांकन उनकी उपस्थिति में तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सूचना दी जाकर दो राजस्व निरीक्षकों की टीम द्वारा तहसीलदार तथा अधीक्षक, भू–अभिलेख की उपस्थिति में सीमांकन किये जाने के निर्देश दिये गये । आदेशिका दिनांक 29–5–14 में सीमांकन हेतु दिनांक 10–6–2014 की तिथि नियत की गई । बीच में ही पुनः अनावेदक द्वारा दिनांक 3–6–2014 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया गया कि वर्तमान नक्शा त्रुटिपूर्ण है, वह पुराने राजस्व नक्शे से मेल नहीं खाता है । वर्तमान नक्शा भूमिस्वामियों के रकबे के हिसाब से नहीं बनाया गया है, इसका परीक्षण करा लिया जाये, यदि नक्शा भूमिस्वामियों के नक्शे के हिसाब से सही है, तो उसका पालन कराया जाये अन्यथा नक्शा संशोधित किया जाये अथवा 1989 से पहले राजस्व नक्शे में भूमिस्वामियों के रकबे के हिसाब से अंकित बटान अनुसार सीमांकन किया जाये और तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 116 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने का उल्लेख करते हुए उक्त आवेदन पत्र के निर्णय के उपरांत सीमांकन किया जाना उचित पाते हुए सीमांकन स्थगित कर दिया गया । तत्पश्चात आवेदन पत्र पर पृथक से प्रकरण कमांक 77/बी–121/13–14 दर्ज कर बिना आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये दिनांक 19–6–14 को आदेश पारित कर नक्शे में अंकित बटान में संशोधन कर दिया गया तथा उक्त नक्शे के आधार पर सीमांकन भी सम्पन्न कर दिया गया । उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण के निराकरण में अपनाई गई प्रकिया विधि के प्रावधानों के पूर्णतः प्रतिकूल होकर स्वेच्छाचारी है, साथ ही इस न्यायालय के आदेश दिनांक

24–12–2012 की अवहेलना भी है, क्योंकि जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है, तहसीलदार द्वारा प्रकरण का वास्तविक निराकरण नहीं कर समय–समय पर कभी पक्षकारों के कहने पर कभी सीमांकन दल के प्रतिवेदन पर अपने ही निर्णय को बार–बार बदला गया है । अपर कलेक्टर द्वारा भी अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करते हुए प्रस्तावित संशोधित बटान नक्शा स्वीकृत न कर प्रकरण वापिस तहसीलदार को भेजने में विधि की गंभीर भूल की गई है । अंत में तो तहसीलदार ने विधि के प्रावधानों को पूर्णतः अनदेखा कर क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही करते हुये अनावेदक के आवेदन पत्र पर पृथक से संहिता की धारा 116 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर बिना आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये बटान एवं नक्शा संशोधित कर सीमांकन सम्पन्न कर दिया गया । कारण नक्शा संशोधित करने का अधिकार संहिता की धारा 107 के अन्तर्गत कलेक्टर को होकर तहसीलदार को नहीं है। इसके अतिरिक्त संहिता की धारा 116 के अन्तर्गत त्रुटि सुधार हेतु 1 वर्ष की समय–सीमा निर्धारित है । तहसीलदार द्वारा यह उल्लेख करते हुए कि वर्तमान नक्शा वर्ष 2011 से प्रचलित है, परन्तु अनावेदक द्वारा आवेदन इस आधार पर दिया है कि अनावेदक को वर्ष 2014 में नक्शे में त्रुटि की जानकारी हुई, अतः त्रुटि का ज्ञान होने के एक वर्ष के भीतर आवेदन प्रस्तुत किये जाने के कारण प्रकरण दर्ज करने का पर्याप्त कारण है, प्रकरण दर्ज कर आदेश पारित करते हुये नक्शा संशोधित किया गया है, जबकि तहसीलदार के प्रकरण से ही स्पष्ट है कि बटान एवं नक्शा उभय पक्ष की जानकारी में वर्ष 2011 के पूर्व से ही विवादित है । ऐसा परिलक्षित होता है कि तहसीलदार प्रकरण का वास्तविक निराकरण न कर उभय पक्ष के कहने से प्रकरण में कार्यवाही कर रहे हैं, और उभय पक्ष ऐन–केन–प्रकारेण अपने पक्ष में निर्णय कराने हेतु प्रयासरत हैं । प्रकरण में होना यह चाहिए कि तहसीलदार को या तो पूर्व से स्वीकृत बटान, जिसका अंकन नक्शे में है, के आधार पर सीमांकन सम्पन्न कराकर सीमांकन आदेश पारित करना चाहिए, अथवा सीमांकन दल द्वारा प्रस्तावित संशोधित नक्शा बटान को कलेक्टर से स्वीकृत कराकर सीमांकन कराना चाहिए, जैसे कि निर्देश इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 24–12–2012 में दिये गये हैं । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही एवं पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार राजधानी परियोजना नजूल, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–6–14, प्रकरण कमांक 77/बी–121/13–14 में पारित आदेश दिनांक 19–6–14 एवं सीमांकन आदेश दिनांक 25–6–14 निरस्त किए जाते हैं । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में उभय पक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर देते हुए निराकरण हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर